कार्यालय–मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर

कमांकः– 4869 **दिनांकः–** 12/12/23

संशोधित कार्यालय आदेश

माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय अलवर के पत्र कमांक स्था./2023/39831 दिनांक 12.12.2023 की अनुपालना में कार्य की सुगमता, सुचारूता व पक्षकारान की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए नीमराना तहसील के उक्त चार गॉव अकलीमपुर, नाहरेडा, निहालपुर व नायसराना जो कि वर्तमान में बहरोड ए0सी0जे0एम0 न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते है, इस कार्यालय के पूर्व आदेश कमांक 4551 दिनांक 17.11.2023 में संशोधन करते हुए उक्त चार गॉवों के न्यायिक मजिस्ट्रेट स्तर से संबंधित प्रकरणों के निस्तारण हेतु (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट व अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की विशेष अधिकारिता को छोडकर) क्षेत्राधिकार द0प्र0सं0 की धारा 14 (1) व 15 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, अजीत कुड़ी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर उक्त चारों गॉव अकलीमपुर, नाहरेडा, निहालपुर व नायसराना का न्यायिक क्षेत्राधिकार न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमराना का क्षेत्राधिकार आवंटित करता हूँ।

इस कार्यालय के शेष आदेश कमांक 1241 दिनांक 09.04.2021,कमांक 2460 दिनांक 10.08.2021 यथावत रहेगें।

उक्त आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होगे।

Sd/-
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अलवर
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अलवर (राज0)

कमांक :– 4870-78 दिनांक :– 12/12/23

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित है–

1. माननीय जिला एवम सेशन न्यायाधीश महोदय, अलवर
2. संबंधित न्यायालय ए0सी0जे0एम0 बहरोड/न्यायिक मजि0 नीमराना
3. जिला पुलिस अधीक्षक, भिवाडी
4. संबंधित पुलिस थाना बहरोड/नीमराना
5. संबंधित बार एसोसियेशन बहरोड/नीमराना
6. कम्प्यूटर शाखा, अलवर (उक्त आदेश को साईट पर अपलोड कर समस्त न्यायालय, अलवर न्यायक्षेत्र को ई–मेल करें)
7. कार्यालय प्रति अध्यक्ष,

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अलवर
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अलवर (राज0)